स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
सत्यमेव जयते

Help us to help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

COVID-19 परीक्षण की आवश्यकता – कब और कैसे?

सभी व्यक्तियों की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि

मुख्य रूप से यह उन्हीं व्यक्तियों में पाया गया है, जिन्होंने COVID-19 से प्रभावित देशों की यात्रा की हो या संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में रहे हों

किन लोगों का परीक्षण करना है

उन सभी व्यक्तियों का, जिनमें लक्षण मौजूद हों और

- जिन्होंने पिछले 14 दिनों में कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो
- जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आयें हों
- जो स्वास्थ्यकर्मी हैं
- अस्पतालों में भर्ती सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस (SARI), इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस (ILI) या सीवियर निमोनिया जैसी बीमारियों के सभी मरीज

ऐसे लक्षण–रहित व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति से प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम सम्पर्क में आएं हों,उनका परीक्षण एक बार संपर्क में आने के 5वें दिन और 14वें दिन के बीच में किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम वाले संपर्क निम्न हैं:

- जो संक्रमित व्यक्ति के साथ एक ही घर में रह रहे हों
- वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा प्रमाणित पर्याप्त सुरक्षा मानकों के बिना किसी संक्रमित व्यक्ति की जांच की हो

जांच के लिए सरकारी एवं निजी प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है: icmr.nic.in

davp 17102/13/0031/1920

अधिक जानकारी के लिए
राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के 24X7 हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करें

1075 (टोल फ्री) | 011-23978046
ई–मेल करें: ncov2019@gov.in , ncov2019@gmail.com

mohfw.gov.in @MoHFWIndia @MoHFW_INDIA mohfwindia